

कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल
कमांक./एमसी/एनएचएम(6)/2020

भोपाल, दिनांक 15/07/2020

// आदेश //


मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 के पत्र कमांक/ एनएचएम/ एचआर/ 2020/8504, भोपाल दिनांक 01/07/2020 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की संदर्भिम टीप कमांक 130/संचिश/ विविध/ 2020 दिनांक 28.6.2020 के प्रस्ताव अनुसार कोविड महामारी में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए, दिनांक 01/7/2020 से दिनांक 30/9/2020 (3 माह) की अवधि के लिये अस्थायी नियुक्ति हेतु भासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अन्य स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के 9 पदों के लिये विज्ञप्ति कमांक 16894/अधि/एनएचएम/19 भोपाल. दि0 10.7.2020 पर वाक ईन इन्टरव्यू में निम्नलिखित का चयन कर नियुक्त किया जाता है।

कमांक	नम	पिता का नाम	पदस्थाना का स्थल
1	श्री अमिता तिवारी	श्री प्रमोद तिवारी	कार्यलय गा0चि0महा0
2	श्री सुनिता विश्वकर्मा	श्री प्रेम नारायण विश्वकर्मा	कार्यलय गा0चि0महा0
3	श्री जितेन्द्र गोस्वामी	श्री दिनेश गोस्वामी	कार्यलय गा0चि0महा0
4	श्री तबुस्सम खान	श्री तस्लीम खान	कार्यलय गा0चि0महा0
5	श्री मेहसीन खान	श्री हबीब खान	कार्यलय गा0चि0महा0
6	श्री नेंहा वर्मा	श्री रामफल वर्मा	कार्यलय गा0चि0महा0
7	श्री अजहर खान	श्री कमरुद्दीन खान	कार्यलय गा0चि0महा0
8	श्री पिटू वर्मा	श्री अमृतलाल वर्मा	कार्यलय गा0चि0महा0
9	श्री जफर इकबाल	श्री मुश्ताक खान	कार्यलय गा0चि0महा0

सेवा शर्तें

1. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में 3 माह के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
4. अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
5. अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय की एनएनएच भाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।


15/07/2020

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशास्त्री समिति, भोपाल

क्रमांक.. / एमसी / एनएचएम(6) / 2020

भोपाल, दिनांक 15 / 07 / 2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल

१

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशास्त्री समिति, भोपाल

कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

3118-20 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक.../एमसी/एनएचएम(6)/2020

भोपाल, दिनांक 15/07/2020

//आदेश//


मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 के पत्र क्रमांक/ एनएचएम/ एचआर/ 2020/8504, भोपाल दिनांक 01/07/2020 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की संदर्भिम टीप क्रमांक 130/संचिश/ विविध/ 2020 दिनांक 28.6.2020 के प्रस्ताव अनुसार कोविड महामारी में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए, दिनांक 01/7/2020 से दिनांक 30/9/2020 (3 माह) की अवधि के लिये अस्थायी नियुक्ति हेतु भासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लैब टेक्नीशियन के 6 पदों के लिये विज्ञप्ति क्रमांक 16894/अधि/एनएचएम/19 भोपाल. दि0 10.7.2020 पर वाक ईन इन्टरव्यू में निम्नलिखित का चयन कर नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पदस्थाना का स्थल
1	श्वेता साहू	संतोश कुमार साहू	माइक्रोबायॉयोलॉजी विभाग
2	खुमान सिंह सोलंकी	मुकाम सिंह सोलंकी	माइक्रोबायॉयोलॉजी विभाग
3	रोहित सेन	विनोद सेन	माइक्रोबायॉयोलॉजी विभाग
4	अवधेश शर्मा	कलाराम शर्मा	माइक्रोबायॉयोलॉजी विभाग
5	मिथिलेश	अर्जुन सिंह	माइक्रोबायॉयोलॉजी विभाग
6	नेहा शर्मा	राज कुमार शर्मा	माइक्रोबायॉयोलॉजी विभाग

सेवा शर्तें

- उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
- यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में 3 माह के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
- अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
- अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय की एनएनएच भाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।



15/07/2020

कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

कमांक.. / एमसी / एनएचएम(6) / 2020

भोपाल, दिनांक 15 / 07 / 2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल
3. सर्वोच्च अधिकारी



कार्यलय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल